न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 54/2024
अनवान : –

1. दीपचंद पुत्र तनसुख राम जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील भादरा। :–प्रार्थी

बनाम्

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। :–अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट
उपस्थिति :–श्री विनोद सिंगाठिया प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक:

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता सं0 52/47 के मु0 न0 100 के किला न0 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2 कुल 1.012है0 बारानी मय रास्ता खातेदारी में दलीप पुत्र तनसुख के नाम से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का सही नाम दीपचंद पुत्र तनसुख राम के स्थान पर अशुद नाम दलीप पुत्र तनसुख दर्ज है

प्रार्थी के जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, बैंक पास बुक एंव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का सही एंव वास्तविक नाम दीपचंद पुत्र तनसुख राम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्वि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा चक 7 बारांनी के खाता सं0 52/47 के मु0 न0 100 के किला न0 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2 कुल 1.012है0 बारानी मय रास्ता खातेदारी में दलीप पुत्र तनसुख के नाम से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम दीपचंद पुत्र तनसुख राम के स्थान पर पर अशुद्व नाम दलीप पुत्र तनसुख [illegible] प्रार्थी का अशुद्व नाम दलीप पुत्र तनसुख के स्थान पर पर प्रार्थी का सही नाम दीपचंद पुत्र तनसुख राम दर्ज किया जावें ताकि प्रार्थीया अपनी वाद भूमि का सही [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:11:41 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात [illegible] तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता सं0 52/47 के मु0 न0 100 के किला न0 10/1, 10/2, 17, 24, 25/1, 25/2 कुल 1.0128० बारानी मय रास्ता खातेदारी में दलीप पुत्र तनसुख के नाम से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम दीपचंद पुत्र तनसुख राम के स्थान पर अशुद्ध नाम दलीप पुत्र तनसुख दर्ज है उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दलीप पुत्र तनसुख की जगह सही नाम दीपचंद पुत्र तनसुख राम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि दलीप पुत्र तनसुख के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम दलीप पुत्र तनसुख ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक .... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:11:41 IST
Reason: SelfAttested